3/यो0-29/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...............................

विषय:- **मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि रू. 2278.67 लाख (रू. बाइस करोड अठत्तर लाख सडसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0-5721 दिनांक- 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण एवं अनाथ, बेसहारा, दु:साध्य रोगों से पीड़ित बच्चों तथा उन दु:साध्य रोगों से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण संबंधी योजनाओं का संचालन मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 04 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 8833.33 लाख रू0 (अठ्ठासी करोड तैतीस लाख तैतीस हजार रू0) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि रू. 2278.67 लाख (रू. बाइस करोड अठत्तर लाख सडसठ हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	विपत्र कोड	PFMS Code	विषय शीर्ष	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि					
1	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ (आईसीपीएस)	(51-2235021020323)	9227	0323.3104	2278.67
कुल योग :- (रू. बाइस करोड अठत्तर लाख सडसठ हजार)					**2278.67**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 14/टि0 पर दिनांक 20.08.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 13/टि0 पर दिनांक 13.08.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2017(खंड) /....................../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सी0डी0एस, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-29/2017(खंड) /.....23........./दिनांक- 24/08/2018

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/8
संयुक्त निदेशक (मु0)